UPHR010041882026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act हरदोई।
प्रकीर्ण वाद संख्या– 277/2026
स्व० मंजू देवी प्रति स्वाती दीक्षित, आदि

अन्तर्गत धारा– 173(4) BNSS
थाना– बिलग्राम, जिला– हरदोई

दिनांकः 24–08–2026

यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थिनी **कु० मंजू देवी** की ओर से, विपक्षीगण **स्वाती दीक्षित, अवधेश्वर व सुरेन्द्र मोहन सिंह** के विरूद्ध BNSS की धारा 173(4) के अन्तर्गत प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु योजित किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थिनी द्वारा किया गया कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी एक सीधी–सादी गरीब विकलांग व अनुसूचित रैदास जाति की महिला है, जबकि विपक्षीगण सवर्ण जाति के होशियार किस्म के व्यक्ति हैं। दिनांक 20–04–2026 को प्रार्थिनी अपनी माता सावित्री, भाई हरीलखन के साथ तहसील बिलग्राम में, बैनामें की परमीशन हेतु गई, वहाँ पर विपक्षीगण ने योजना के अनुसार, प्रार्थिनी व उसके भाई व माता जी से बिना बताये बैनामा करा लिया, जब कि सवर्ण व्यक्ति अनुसूचित जाति की सम्पत्ति बिना परमीशन के बैनामा नहीं करा सकता है। प्रार्थिनी व उसके भाई हरी लखन व माता सावित्री को पता चला कि विपक्षी स्वाती दीक्षित ने झूठ बोलकर बैनामा करवा लिया है। प्रार्थिनी पढ़ी–लिखी महिला नहीं है तथा उसको कानून का कोई ज्ञान नहीं है। दिनांक 09–05–26 को शाम 4 बजे, जब प्रार्थिनी ने पूँछा कि तुमने मुझसे अनुमति के धोखे में बैनामा करा लिया है, तब विपक्षीगण, प्रार्थिनी, उसके भाई हरी लखन व उसकी माता को जाति सूचक गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे कि **तुम चमार जाति के हो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे** और लखन को अवधेश्वर धक्का देने लगे, शोरगुल की आवाज सुनकर, मौके पर महेश व अन्य लोग आ गये और बीच–बचाव कराया। प्रार्थिनी काफी हैरान व परेशान है तथा न्याय चाहती है। प्रार्थिनी ने थाना बिलग्राम में दिनांक 10–05–2026 को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु प्रार्थिनी की कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थिनी ने उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिये परन्तु प्रार्थिनी की कोई सुनवाई नहीं हुई। विपक्षीगण सवर्ण जाति के हैं, बिना परमीशन के बैनामा नहीं होता है, इसलिए बैनामा में प्रार्थी की जाति छिपा लिया गया और धोखाधड़ी से बैनामा करा लिया गया, जिसका कोई प्रतिफल भी प्रार्थिनी को नहीं मिला। इस प्रकार अभियोग पंजीकृत करने की प्रार्थना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार, प्रार्थिनी द्वारा, अपनी जमीन, विपक्षी स्वाती दीक्षित पत्नी दीपक कुमार दीक्षित, नि० ग्राम बिल्हरी, परगना और तहसील शाहाबाद, हरदोई को अपनी जमीन बेची गयी थी, जिसका एक लाख रूपया बाकी रह गया था। दिनांक 09.05.26 को प्रार्थिनी व उसके परिजन, अपने रूपये मांगने, विपक्षी स्वाती के घर गए थे, जहाँ विपक्षी द्वारा रूपये नहीं दिए गए, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तू–तू मैं–मैं हुई थी, जिसका प्रकरण थाना बिलग्राम में आया था, जो मामला राजस्व संबंधित है। विपक्षी द्वारा ये कहकर रूपये नहीं दिए गए कि तुमने जो जमीन देने को कहा था, वो जमीन नहीं दिया है। प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की विकलांग महिला है, जबकि विपक्षीगण स्वर्ण जाति के है। विपक्षीगण ने जमीन खरीदने के संबंध में कोई परमिशन नहीं लिया है। दिनांक 09.05.26 को कोई मारपीट की घटना घटित नहीं हुई थी। आपस में तू–तू मैं–मैं, पैसे के लेनदेन के संबंध में हुआ था, जिसमें 135/136 BNSS की कार्यवाही की गई है।

विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति के माध्यम से, प्रार्थना पत्र में लगाये गये आक्षेपों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि विपक्षी सं० 1 को, विपक्षी सं० 3 सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि बिलग्राम में एक प्लाट बिकाऊ है, जिसका प्लाट है, उसे रूपयों

Gyanendra Tripathi
Spl. Judge SC/ST (P.A.) Act

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.25 16:49:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की सख्त जरूरत है। उनकी बात पर विश्वास करके, प्रार्थिनी मंजू देवी, उनके भाई हरिलखन व माता सावित्री ने जाकर प्रार्थिनी के हक में, जाल साजी व धोखाधड़ी करके अपनी जाति छिपाकर बैनामा कर दिया तथा प्रतिफल भी प्राप्त कर लिया। प्रार्थिनी कु० मंजू देवी, उनके भाई व माता काफी शातिर किस्म के व्यक्ति है तथा अपनी जाति छिपाकर बैनामा करते हैं। इसी खाता नम्बर का कुछ अंश दिनांक 03.05.2025 को बही सं० 1, जिल्द सं० 7024, पृष्ठ 129 से 148, क्रमांक 3645 पर किया, जिसमें भी जाति का कोई उल्लेख नही करके शिवसरन सिंह के हक में बैनामा कर चुके हैं। वाद पत्र में दिनांक 20.04.2026 को परमीशन हेतु तहसील जाना कहा गया है, जबकि तहसील से परमीशन नही होता है। प्रार्थिनी अगर परमीशन से ही बैनामा करवाती है तो उसी खाते के उक्त अंश का उसका परमीशन क्यो नही करवाया। प्रार्थिनी कु० मंजू देवी के भाई सुमित कुमार ने बतौर बयाना, इसी खाता संख्या का कुछ अंश बेचने के लिये दिनांक 23.03.2026 को 1 लाख रूपया लिया था। वही पैसा न देना पड़े, जिसका अनुबन्ध पत्र मौजूद है, सब लोगो ने गलत व फर्जी घटना दर्शाकर, उक्त वाद योजित कर दिया, ताकि 1 लाख रूपया न देना पड़े। इस प्रकार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति, भले ही वह निरक्षर व नासमझ ही क्यों न हो, भली भांति अवगत होता है कि अनुसूचित जाति की भूमि का अन्तरण गैर अनुसूचित जाति में, बिना जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के विधिमान्य नही होता है। अर्थात यह अनुमति भी तहसील से नही अपितु जिलाधिकारी कार्यालय से ही मिलती है। पंजीकरण की प्रक्रिया में निबन्धन कार्यालय में औपचारिक रूप से विक्रेता व क्रेता को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर ही विक्रय की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। प्रार्थिनी द्वारा विपक्षी सं० 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख में तथा शिवशरण सिंह पुत्र नन्हेलाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख में जाति का उल्लेख न किया जाना यह दर्शित करता है कि प्रार्थिनी द्वारा बिना जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के, अपनी जाति छिपाकर विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त परिस्थितियों में विपक्षीगण पर दबाव बनाने हेतु, अपनी अनुसूचित जाति की विशिष्ट प्रास्थिति का दुरूपयोग करते हुए, प्रार्थिनी द्वारा कपोल कल्पित कथानक को आपराधिक स्वरूप प्रदान करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

दिनांकः 24–08–2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574